

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1566 का उत्तर

महाराष्ट्र में पुराने रेल पुल

1566. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दीना पाटिल:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले पुराने रेल पुलों की पहचान की है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए मरम्मत कार्य का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक ढह गए रेल पुलों की संख्या कितनी है;
- (ग) पुल गिरने के परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए;
- (घ) क्या स्वीकृत हुए पुल के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने और इन्हें पूरा करने में विलंब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पुल ढहने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ.) क्या सरकार ने मरम्मत की आवश्यकता वाले पुराने पुलों की समीक्षा का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा देश भर में सभी पुराने रेल पुलों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

महाराष्ट्र में पुराने रेल पुल के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री संजय दीना पाटिल, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे के अतारांकित प्रश्न सं. 1566 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय रेलों पर रेल पुलों के निरीक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी रेल पुलों का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाता है, एक मानसून के आरंभ होने से पहले और एक मानसून के बाद विस्तृत निरीक्षण। इसके अलावा, कुछ रेलवे पुलों का उनकी हालत के आधार पर अधिक बार निरीक्षण भी किया जाता है। रेल पुलों की मरम्मत/सुदृढीकरण/पुनरुद्धार/पुनः निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यकता होती है, इन निरीक्षणों के दौरान पता लगाई गई उनकी वास्तविक हालत के आधार पर किया जाता है न कि उनकी आयु के आधार पर। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कोई भी रेल पुल नहीं गिरा है। सभी रेलवे पुल अनुमत गति पर गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित हैं।

रेलवे पुलों के संबंध में सूचना क्षेत्रीय रेल-वार रखी जाती है न कि राज्य-वार। महाराष्ट्र मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रेल में 5,405 रेल पुलों की मरम्मत/पुनरुद्धार/सुदृढीकरण/पुनःनिर्माण किया गया जिसमें ऊपर उल्लिखित पांच क्षेत्रीय रेलों में 1,323 रेल पुल शामिल हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलवे में मरम्मत/सुदृढीकरण/पुनरुद्धार/पुनःनिर्माण के लिए 9,784 रेलवे पुलों को मंजूरी दी गई है।
